पत्रांकः—भवन/बजट—27—प्रखंड भवन का संधारण (आवासीय)—01/2020—21......... 6530(ग्रा)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांकः— 16/7/26

विषयः— ग्रामीण विकास विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026—27 में कुल ₹ **35,04,580/— (पैंतीस लाख चार हजार पाँच सौ अस्सी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः— स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ **35,04,580/—(पैंतीस लाख चार हजार पाँच सौ अस्सी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026—27 में प्रदान की जाती हैः—

क्र.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई.डी.	योजना/कार्य का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वर्ष 2026—27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	भवन प्रमंडल, किशनगंज	31844	Renovation of Rachna Bhawan (Meeting Hall) in DRDA Building at Kishanganj	2576618/ 19.02.2024	13,82,252/— (तेरह लाख बेयासी हजार दो सौ बावन रूपये)
2	भवन प्रमंडल, किशनगंज	31839	Repair work of Chamber and office of DDC Kishanganj for the year 2023-24	2577048/ 19.02.2024	6,49,546/— (छः लाख उनचास हजार पाँच सौ छियालीस रूपये)
3	भवन प्रमंडल, कटिहार	32662	Renovation work of Block Development officer's residence Building at Barsoi under Katihar Dist. for the year 2025-26	4620012/ 18.09.2025	14,72,782/— (चौदह लाख बहत्तर हजार सात सौ बेयासी रूपये)
			कुल योग		**35,04,580/—**

(पैंतीस लाख चार हजार पाँच सौ अस्सी रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या—03 अन्तर्गत मुख्यशीर्ष—2059—लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष—01—कार्यालय भवन, लघुशीर्ष—053—रख रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष—0033—ग्रामीण विकास विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, **विपत्र कोड—03.2059010530033** के विषय शीर्ष—27—लघुकार्य—0033.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026—27 में किया जाएगा।
3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः— 6530 (ग्रा) पटना, दिनांकः— 16/7/26

प्रतिलिपिः—सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।